राष्ट्रीय एकता के लिए दौड़े लोग, एकजुटता का दिया संदेश

राजधानी में सरदार पटेल की जयंती पर 'रन फॉर यूनिटी' में उमड़ा उत्साह

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 31 अक्टूबर. लोह जैसे इरादों वाले देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर शुक्रवार को राजधानी भोपाल में 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन हुआ. भोपाल पुलिस कमिश्नरेट द्वारा आयोजित इस दौड़ में आमजन, छात्र-छात्राएं, पुलिस अधिकारी, स्वयंसेवी संगठन और शहर के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए.

आयोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक सौहार्द और राष्ट्रहित की भावना को मजबूत करना रहा. 'रन फॉर यूनिटी' ने राजधानी भोपाल को एकता, अनुशासन और देशभक्ति के रंगों से सराबोर कर दिया. आयोजन ने न केवल सरदार पटेल के आदर्शों को स्मरण कराया बल्कि युवाओं में एक राष्ट्र, एक संकल्प की भावना को भी प्रज्वलित किया.

कार्यक्रम की शुरुआत शौर्य स्मारक परिसर में हुई, जहां मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया. उन्होंने उपस्थित जनसमुदाय को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाते हुए कहा कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा सर्वोपरि है और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह समाज में भाईचारे की भावना को बढ़ाएं.

शौर्य स्मारक से लाल परेड तक दौड़ी एकता

मुख्यमंत्री ने शौर्य स्मारक से हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया. उत्साह और जोश से भरे प्रतिभागी एक भारत, श्रेष्ठ भारत का संदेश देते हुए दौड़ में शामिल हुए. रूट में प्रमुख स्थान शौर्य स्मारक, व्यापम चौराहा, बोर्ड ऑफिस चौराहा, एमपी नगर चौराहा, जेल पहाड़ी, कंट्रोल रूम तिराहा रहा. दौड़ का समापन लाल परेड मैदान पर हुआ, जहां प्रतिभागियों ने देशभक्ति के नारों के साथ माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया.

भेल स्पोर्ट्स क्लब में एकता दौड़

बीएचईएल संवाददाता

भोपाल, 31 अक्टूबर. लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार बीएचईएल, भोपाल स्पोर्ट्स क्लब में एकता दौड़ का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदीप कुमार उपाध्याय, महाप्रबंधक एवं इकाई प्रमुख, बीएचईएल भोपाल उपस्थित रहे.

कार्यक्रम में टी.यू. सिंह, महाप्रबंधक (मानव संसाधन); सभी महाप्रबंधकगण; डीआरओएस; यूनियनों के प्रतिनिधि; वी.एस. चौहान, अपर महाप्रबंधक (खेल); प्रशांत पाठक, अपर महाप्रबंधक (टीएडी); आरिफ अहमद सिद्दीकी, अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन) सहित अनेक अधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे. भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के निर्देशानुसार फिट इंडिया फ्रीडम रन 6.0 का आयोजन देशभर में 2 से 31 अक्टूबर 2025 तक स्वच्छता और स्वास्थ्य विषय पर किया गया. इस पहल का उद्देश्य दौड़, पैदल चलना और अन्य फिटनेस गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना है. कार्यक्रम की शुरुआत में उपाध्याय ने उपस्थित जनसमूह को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिनकी देश की एकता और अखंडता में भूमिका सदैव प्रेरणादायक रहेगी.

राष्ट्र के स्वरूप में सरदार पटेल की भूमिका अहम

पीआईबी और सीबीसी भोपाल ने आयोजित की संगोष्ठी

भोपाल, 31 अक्टूबर. राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर पत्र सूचना कार्यालय तथा केंद्रीय संचार ब्यूरो, प्रादेशिक कार्यालय, भोपाल द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान था, विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य देश की एकता और अखंडता में सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान को स्मरण करना था. संगोष्ठी में भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत वरिष्ठ अधिकारी डॉ. विजय अग्रवाल ने कहा कि सरदार पटेल ने देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उन्होंने देशी रियासतों को भारतीय संघ में विलय करने में अपने अद्वितीय नेतृत्व और कूटनीति का परिचय दिया. आज जो राष्ट्र का स्वरूप है, उसमें सरदार पटेल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. यह अफसोस की बात है कि उनके जैसे महान व्यक्तित्व को भारतरत्न सम्मान देने में 37 साल का समय लग गया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के प्रो. आशीष जोशी ने कहा कि सरदार पटेल की दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प ने देश को एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र बनाने में मदद की. आज के समय में भी सरदार पटेल के आदर्श और सिद्धांत हमें प्रेरित करते हैं. कार्यक्रम के प्रारंभ में सहायक निदेशक अजय उपाध्याय ने अतिथियों का परिचय कराया. कार्यक्रम का संचालन सहायक निदेशक पराग मांदले ने किया. आभार प्रदर्शन उप निदेशक शारिक नूर ने व्यक्त किया. इस अवसर पर पत्र सूचना कार्यालय के निदेशक मनीष गौतम, सहायक निदेशक समीर वर्मा सहित अनेक अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे.

आदिशक्ति में आर्टिस्ट शंकर राजपूत की पेंटिंग शामिल

भोपाल, 31 अक्टूबर. आदिशक्ति 2025 में भोपाल के सीनियर आर्टिस्ट शंकर राजपूत की पेटिंग का चयन हुआ है. शंकर को बचपन से ही पेंटिंग का शौक था और उन्होंने पेंटिंग के जरिये ही शहर में अपना अलग मुकाम हासिल किया है. आदिशक्ति सोशल मीडिया के जरिये हर वर्ष पेंटिंग की प्रतिस्पर्धा आयोजित करती है. जिसमें देश भर के आर्टिस्ट हिस्सा लेते है. इसमें चयनित पेंटिंग की प्रदर्शनी बजाज आर्ट गैलरी मुंबई में शामिल की जाती है. इस वर्ष यह प्रदर्शनी 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजित की गई है.

चौक-चौराहों पर लोक कलाकारों ने दी प्रस्तुति

भोपाल, 31 अक्टूबर. प्रदेश के स्थापना दिवस अभ्युदय मप्र के तहत प्रदेश के लोक कलाकारों ने राजधानी भोपाल में शुक्रवार को भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लोक नृत्य की प्रस्तुति देकर नागरिकों से स्थापना दिवस समारोह में सहभागिता का आह्वान किया.

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अतः देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों / सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया....रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री अनिल, श्री मुनेश, श्री सिरनाम, श्रीमती अनीता अहिरवार श्रीमती मुनि बाई (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10724594)	पी.एच.एन.03, खसरा संख्या 621 का वह पूरा टुकड़ा, सिजावत, अशोकनगर, अशोकनगर, मध्य प्रदेश, भारत, 473331 में स्थित है. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्रफल, कालीन_क्षेत्र, संपत्ति का क्षेत्रफल- 1400.00, 1000.00	रु. 402071/- (रु. चार लाख दो हजार इकहतर मात्र)	12-06-2025	28-10-2025
श्री प्रहलाद राय श्रीमती कल्पना राय (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10682503)	पीएच नंबर 03, खसरा नंबर 174, दुधवानी, विपरासर, बीना, सागर, मध्य प्रदेश, 470113 - भारत का वह पूरा टुकड़ा. क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल. संपत्ति क्षेत्रफल- 1571.00, 1500.00, 00.00	रु. 384333/- (रु. तीन लाख चौरासी हजार तीन सौ तैंतीस मात्र)	17-06-2025	28-10-2025

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी **ब्रांच आफिसः** 249, द इनफिनिटी, प्रथम तल, एम.पी. नगर, जोन-2, तुलसी होटल के पास, भोपाल-462011/या **कार्पोरेट ऑफिस**- प्लॉट नं. 98, फेस-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- भोपाल, दिनांक- 1-11-2025 — प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

30 रुपये तक बिका एक गन्ना

देवउठनी एकादशी पर बाजारों में दिखी रौनक

जूनियर रिपोर्टर

भोपाल, 31 अक्टूबर. कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी यानी देवउठनी ग्यारस के अवसर पर शहर के बाजारों में खूब रौनक देखने को मिली. सुबह से ही श्रद्धालु पूजा की तैयारियों में जुटे नज़र आए. मंदिरों के पास और मुख्य बाजारों में गन्ना, तुलसी, फूल-मालाओं और पूजा सामग्री की खरीदारी जोरों पर रही.

देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है. इसी कारण लोग तुलसी मंडप सजाने के लिए गन्ना खरीदते हैं. इस मौके पर शहर के न्यू मार्केट, बिट्टन मार्केट और अन्य क्षेत्रों में बड़ी संख्या में गन्ना बेचने वाले व्यापारी खड़े दिखे. न्यू मार्केट में हाथ ठेला लगाकर गन्ना बेचने वाली प्रेमाबाई ने बताया कि सुबह से ही इतनी बिक्री हुई कि अब कुछ ही गन्ने बचे हैं. मैं दो गन्ने 60 रुपये में दे रही हूं. पूजन सामग्री जैसे चना की भाजी, सिंघाड़ा, फूल-मालाएं, सीताफल और आंवला की भी अच्छी बिक्री हुई. दुकानदारों का कहना है कि इस बार लोगों में उत्साह अधिक है. पूजा सामग्री खरीदने आई चांदनी प्रधान ने कहा कि उन्होंने तुलसी मंडप सजाने के लिए गन्ना खरीदा और साथ ही पूजा का सामान भी लिया.

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइल हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अतः देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों / सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया....रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री हरवीर सिंह श्रीमती शशि बाई (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10558353)	पुराना पटवारी हल्का संख्या 02, नया पटवारी हल्का संख्या 04, खसरा संख्या 159, ग्राम शाजापुर, तहसील नई सराय, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश, 473446 क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल संपत्ति क्षेत्रफल- 2000.00, 1200.00, 960.00	रु. 436109/- (रु. चार लाख छत्तीस हजार एक सौ नौ मात्र)	02-04-2025	27/10/2025
श्री राजू धाकड़ श्री. मंगल सिंह धाकड़ श्रीमती अनिता श्रीमती इंद्रा धाकड़ (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10661556)	पटवारी हल्का नंबर 57, खसरा नंबर 373, ग्राम धाननखेड़ी, तहसील बमोरी, जिला गुना, मध्य प्रदेश, 473105, भारत क्षेत्र माप (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्र, निर्मित_क्षेत्र, कालीन_क्षेत्र संपति क्षेत्र- 1500.00, 676.00, 580.00	रु. 449565/- (रु. चार लाख उन्नचास हजार पांच सौ पैंसठ मात्र)	20-06-2025	27/10/2025
श्री इमरतलाल श्रीमती विमला बाई इमरतलाल (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10773637)	पीएच नं. 26, खसरा संख्या 189, क्षेत्रफल 2000 वर्ग फुट, स्थित नोनेरा, तहसील-बघेरी, जिला-गुना, मध्य प्रदेश- 473001 - भारत क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्रफल, कालीन_ क्षेत्रफल, संपति का क्षेत्रफल- 2000.00, 498.00।	रु. 355092/- (रु. तीन लाख पचपन हजार बानवे मात्र)	21-03-2025	27/10/2025

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी **ब्रांच आफिसः** 183, प्रथम तल, सोनी भवन, एम.पी. नगर, जोन-2, भोपाल/या **कार्पोरेट ऑफिस**- प्लॉट नं. 98, फेस-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- भोपाल, दिनांक- 1-11-2025 — प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

PhoenixARC

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

पंजीकृत कार्यालयः तीसरी मंजिल, वालेस टॉवर 139-140/बी/1, सहार रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे विले पार्ले (पूर्व) मुंबई - 400 057. **टेलीफोनः** 022-6849 2450, **फैक्सः** 022-6741 2313

सीआईएनः U67190MH2007PTC168303 **ई-मेलः** info@phoenixarc.co.in **वेबसाइटः** www.phoenixarc.co.in.

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के साथ

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले एस्पायर होम फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड - असाइनर के नाम से जाना जाता था) द्वारा ऋण के असाइनमेंट के अनुसार फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड को गिरवी रखी गई नीचे उल्लिखित सम्पत्ति को 'जैसी है, जैसी है और बिना किसी सहारे के' 'ऑनलाइन ई-नीलामी' के माध्यम से बेचा जाएगा, ताकि बकाया राशि और आगे के ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली की जा सके, जैसा कि नियम 8 और 9 के साथ पढ़े गए SARFAESI अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीचे विस्तार से बताया गया है. प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002) के अनुसार वेबसाइट: www.phoeni&arc.co.in/ के माध्यम से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार

नीलामी की तिथि और समयः 24-11-2025/11.00 पूर्वाह्न से 02.00 अपराह्न (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

कर्ज़दार/सह-कर्ज़दार/गारंटर/लोन खाता	डिमांड नोटिस की तारीख और रकम	अचल संपत्ति का विवरण	रिज़र्व प्राइस, ईएमडी और ईएमडी जमा करने की आखिरी तारीख
LAN: LXBHO00115-160010920 **ब्रांचः** भोपाल **कर्ज़दारः** अंजू प्रमोद कुमार श्रीवास्तव / **सह-कर्ज़दारः** प्रेरणा प्रमोद श्रीवास्तव	13-12-2017 रुपये 850390/- (रु. आठ लाख पचास हज़ार तीन सौ नब्बे मात्र)	प्लॉट गांव बेहलोत P.H.No.42 तहसील बासौदा जिला विदिशा तहसील और विदिशा 464001 विदिशा मध्य प्रदेश भारत जिला	रिज़र्व प्राइसः रु. 105000/- (रु. एक लाख पांच हज़ार मात्र) ईएमडीः रु. 10500/- (रु. दस हज़ार पांच सौ मात्र) ईएमडी जमा करने की आखिरी तारीख- 23-11-2025

ई-नीलामी के नियम और शर्तें :- 1. नीलामी बोली दस्तावेज के आगे के नियमों और शर्तों के अनुसार और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाती है. बोलीदाता बोली लगाने की जानकारी और सहायता, ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति का विवरण और बोली फॉर्म जो ऑनलाइन जमा किया जाएगा, के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, M/S ARCA EMART PRIVATE LIMITED के वेब पोर्टलः https://www.auctionbazaar.com/ पर जा सकते हैं. इच्छुक खरीदार उसी पोर्टल पर नीलामी के नियम और शर्तों और प्रक्रिया को देख सकते हैं और तरुण रघुवंशी 9324921028 और विजय सिंह 9372505110, शैलेष अयंगर 9833801159 से संपर्क कर सकते हैं, विवरण ऊपर उल्लिखित वेब पोर्टल में उपलब्ध है और उनके केंद्रीकृत हेल्प डेस्क +91 83709 69696, ई-मेल आईडीः contact@auctionbazaar.com से संपर्क कर सकते हैं. 2. सभी इच्छुक क्रेता बोलीदाताओं को ऊपर उल्लिखित पोर्टल https://www.auctionbazaar.com/ पर अपना नाम पंजीकृत करना आवश्यक है और पूर्वोक्त तिथि और समय पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिए मुफ्त में यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा. 3. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक क्रेता/बोलीदाताओं को सुरक्षित संपत्ति के आरक्षित मूल्य के 10 प्रतिशत की वापसी योग्य बयाना राशि के भुगतान का विवरण, पैनकार्ड की प्रतियों, कंपनी के मामले में बोर्ड के प्रस्तावों और पते के प्रमाण के साथ ऊपर उल्लिखित ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले जमा करना होगा, इच्छुक क्रेता/बोलीदाताओं को ऊपर वर्णित प्रत्येक वस्तु/संपत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करना आवश्यक है. 4. नीलामी के किसी भी चरण में, प्राधिकृत अधिकारी बोली/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित/रद्द कर सकता है या बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी को स्थगित कर सकता है. 5. सफल खरीदार/बोलीदाता को लागू कानून के अनुसार सुरक्षित संपत्ति को अपने पक्ष में हस्तांतरित/सुपुर्द करने के लिए भुगतान किए जाने वाले किसी भी वैधानिक बकाया, देय कर शुल्क, खरीद विचार पर लागू जीएसटी, स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान करना होगा. 6. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले भार, नीलामी में रखी गई सुरक्षित संपत्ति का तकियाकलाम और सुरक्षित संपत्तियों को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों, जिसमें वैधानिक बकाया आदि शामिल हैं, के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच कर लेनी चाहिए. नीलामी विज्ञापन फीनिक्स की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही करेगा. फीनिक्स का अधिकृत अधिकारी किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाए के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा. 7. संभावित/इच्छुक बोलीदाता को एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी कि वह दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 29 (ए) के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य नहीं है और केवाईसी दस्तावेजों के साथ इस तरह के वचनबद्धता को प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, वह स्वतः ही अयोग्य हो जाएगा या उसकी बोली खारिज कर दी जाएगी.

स्थानः मध्य प्रदेश **दिनांकः** 1.11.2025

अनुवाद में त्रुटियां/विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

रवींद्र भवन में गूंजी ट्रेन व बैलगाड़ी की आवाज

रघुवीर यादव के निर्देशन में नाटक मारे गए गुलफाम का मंचन

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 31 अक्टूबर. रवींद्र भवन के हंसध्वनि सभागार में गुरुवार को शाम सात बजे अंचल की मिट्टी की खुशबू से सराबोर फणीश्वर नाथ रेणु की मशहूर कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित नाटक का मंचन हुआ.

मशहूर अभिनेता रघुवीर यादव के निर्देशन और अभिनय से सजा यह नाटक दर्शकों की यादों में लंबे समय तक बस जाने वाला रहा. शुरुआत से ही सभागार खचाखच भरा था. मंच पर ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया गया. जिसमें रेलवे स्टेशन और गांव की बैलगाड़ी का दृश्य दर्शकों को मानो उस दौर में ले गया. पार्श्व ध्वनि और वाद्य यंत्रों का प्रयोग इतना सजीव था कि ट्रेन और बैलगाड़ी की आवाजें सुनते ही दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी.

हीरामन, हीराबाई की मूक प्रेम की कहानी....

कहानी हीरामन और हीराबाई के मूक प्रेम की है. एक तरफ भोला और सौम्य गाड़ीवान हीरामन और दूसरी तरफ नौटंकी की अदाकारा हीराबाई. दोनों का प्रेम भाव से परिपूर्ण है पर मंजिल अधूरी रह जाती है. हीरामन की साफगोई और हीराबाई का दिल को छू लेने वाला भाव अभिनय दर्शकों को भावुक कर गया. कथा में हीरामन का पुराना संघर्ष, बैल चलाते हुए गीत गाना, हीराबाई का साथ और विदाई का दृश्य सभागार में सन्नाटा छा गया. नाटक के अंत में जब हीरामन अपने बैलों को झिड़कते हुए तीसरी कसम खाता है तो दर्शकों की आंखें नम हो उठीं.

कार्यालय नगर निगम भोपाल

जोन क्र. 21 (डॉ. भीमराव अम्बेडकर) सहयाद्रि परिसर के पास, भदभदा रोड

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम भोपाल के स्वामित्व की दुकान के नामांतरण हेतु जोनल कार्यालय क्र. 21 के समक्ष में आवेदनकर्ता द्वारा उनके नाम से नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	दुकान क्र.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	वर्तमान में स्थल पर काबिज का नाम	आधार
1.	दुकान क्र. 3/12 न्यू मार्केट, टी.टी. नगर	श्री वैदिक सिंहल आत्मज स्व. श्री दिलीप कुमार सिंहल	श्री दिलीप सिंहल आत्मज स्व. श्री अशोक कुमार सिंहल	श्री वैदिक सिंहल आत्मज स्व. श्री दिलीप कुमार सिंहल	आवेदन पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा की छायाप्रति

उक्त दुकान से संबंधित राजस्व अभिलेखों में उपरोक्तानुसार खातों में नाम परिवर्तन करने में किसी व्यक्ति को कोई वैधानिक आपत्ति है तो वह 15 दिवस के अंदर नगर निगम भोपाल के जोनल कार्यालय क्र. 21 डॉ. भीमराव अम्बेडकर सहयाद्रि परिसर के पास, भदभदा रोड, को लिखित सूचित कर सकता है. निर्धारित समयावधि 15 दिवस के अंदर आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो नगर निगम भोपाल नाम परिवर्तन करने के लिए सक्षम होगा. तत्पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी.

सू.क्र. 2613/025/026 — **जोनल अधिकारी, जोन क्रमांक 21, नगर निगम, भोपाल**

कार्यालय नगर पालिका पालिका परिषद्, बैरसिया जिला भोपाल म.प्र.

टेलीफोन नं. 07565-282231, फैक्स नं. 07565-282231

ई-मेलः cmoberasia5@gmail.com, cmobarisia@mpurban.gov.in

नामांतरण सूचना

क्रमांक/1809/राजस्व/2025 — **बैरसिया, दिनांक 31/10/2025**

उपरोक्त विषयांतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद् बैरसिया को निम्नलिखित सूची अनुसार नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 151 के अंतर्गत भवन/भूमि का नामांतरण किया जाना है. यदि इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वो 30 दिवस के अंदर कार्यालय में लिखित में सूचित करें, अन्यथा समयावधि पश्चात कोई वाद मान्य नहीं होगा.

नामांतरण प्रकरणों की सूची

क्र.	भवन/भूमि क्रेता का नाम	भवन/भूमि विक्रेता का नाम	भवन/भूमि	भवन/भूमि स्थल का पता
1.	सुनील गौर आत्मज श्री लखनलाल गौर	श्रीमती लक्ष्मी बाई, लखन लाल, पर्वत सिंह गौर आ. नारायण सिंह	व्यवसायिक भूखंड	वार्ड नं. 12 शुभंग विहार नरसिंहगढ़ रोड बैरसिया
2.	श्री जितेन्द्र राजपूत आ. श्री जनक सिंह राजपूत	श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत आ. श्री प्रेम सिंह राजपूत	आवासीय भूखंड	वार्ड नं. 14/18 सेमरा रोड बैरसिया
3.	श्री जितेन्द्र बघेल आ. श्री झनक सिंह बघेल	श्री बसीम, कलीम उद्दीन अहमद खां आ. हा. मो. सुलेमान	आवासीय भूखंड	वार्ड नं. 18 शेरपुरा मुख्य मार्ग से हट कर बैरसिया
4.	श्री तरनजीत सिंह गांधी आ. श्री सुरजीत सिंह गांधी	फौती नामांतरण	आवासीय भवन	वार्ड क्र. 10 मेन रोड बैरसिया
5.	श्रीमती चंदा जैन पत्नी श्री राजेश कुमार जैन	श्रीमती सरस्वती जैन आ. श्री सुबोध कुमार	आवासीय भूखंड	वार्ड नं. 8 कटरापुरा बैरसिया
6.	श्री दीपक, गोलू प्रजापति आ. श्री हरी सिंह प्रजापति	श्री नारायण सिंह कुशवाह आ. श्री धनसिंह कुशवाह	आवासीय भूखंड	वार्ड नं. 1 मेंहगीपुरा दरगाह के पास बैरसिया
7.	श्री प्रकाश कुशवाह आ. श्री मुन्नालाल कुशवाह	श्री कलीम, वसीम उद्दीन अहमद खां आ. हा. मो. सुलेमान	आवासीय भूखंड	वार्ड नं. 14/18 बैंक ऑफ इंडिया के पास बैरसिया
8.	श्री दिनेश कुशवाह आ. श्री राम सिंह कुशवाह	श्री राम सिंह कुशवाह आ. श्री देवीलाल कुशवाह	आवासीय भूखंड	वार्ड नं. 3 बसई बैरसिया

मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद्, बैरसिया

SMFG Grihashakti — Nayi Asha. Naya Vishwas.

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कं. लिमिटेड

कार्पोरेट आफिसः 503 एवं 504, पांचवी मंजिल, जी ब्लाक, इन्सीप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (ई) मुंबई- 400051

रजि. आफिसः कमरजोन आईटी पार्क, टॉवर बी, प्रथम तल, नं. 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पुरुर, चेन्नई-600116, चमिलनाडु

डिमांड नोटिस

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के प्रावधानों के तहत और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') और सुरक्षा हित का प्रवर्तन (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('नियम')

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे एसएमएचएफसी कहा जाएगा) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(12) के साथ नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी करते हुए, निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस(ओं) में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया है. अधोहस्ताक्षरी का उचित रूप से मानना है कि उधारकर्ता(ओं) मांग नोटिस(ओं) की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस की तामील चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है. मांग नोटिस(ओं) की विषयवस्तु नीचे उद्धृत की गई है :-

क्र.	ऋण खाता संख्या एवं नाम उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता संपत्ति धारक जैसा भी मामला हो	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (बंधक संपत्ति)	डिमांड नोटिस तिथि 13/2 के तहत और कुल बकाया
1.	**लैनः 619439211649522** **1. आदिल खान** **2. नज़मा सुल्ताना** **पता-** वार्ड क्रमांक 24 भगत सिंह नगर, नाला मुहल्ला, इटारसी, तहसील इटारसी जिला नर्मदापुरम (होशंगाबाद) म.प्र. 461111	वह सब पीस और पार्सल आवासीय भूखंड जिसका क्षेत्र 720 वर्गफुट का है. जिसका आयाम पूर्व से पश्चिम 60 फीट और उत्तर से दक्षिण 12 फीट, जिस पर अच्छी तरह से निर्मित मकान है खसरा नंबर 457/2,458/2 एवं 475/1, पटवारी हल्का में स्थित क्रमांक 09, मौजा एवं ग्राम मेहरागांव, इटारसी, तहसील इटारसी जिला नर्मदापुरम (होशंगाबाद) म.प्र. **संपत्ति की सीमा-** पूर्व-रोड, पश्चिम-रोड, उत्तर-जहूर का घर, दक्षिण-तिवारी मुनीम जी का घर, क्षेत्रफल 720 वर्ग फुट.	13.10.2025 रु. 14,69,941/- (रु. चौदह लाख उनहत्तर हजार नौ सौ इकतालीस मात्र) 10.08.2025 तक **एनपीए तिथिः 05.10.2025**
2.	**लैनः 604439511708074** **1. महेंद्र कुमार जावेरिया** **2. सीमा जावेरिया** **पताः** वार्ड क्रमांक 17 केशव कॉलोनी मकान क्रमांक 516 अवंतीपुर बड़ोदिया शाजापुर 465116	ऑल दैट पीस एंड पार्सल प्लॉट क्रमांक, पीएच क्रमांक 58, स्थित ग्राम पंचायत, ए. बड़ोदिया, जिला शाजापुर में कुल क्षेत्रफल 1617 वर्ग फुट और 3198 वर्ग फुट है. **संपत्ति की सीमा इस प्रकार है-** पूर्व में- नितिन कुमार का मकान, पश्चिम में- रामेश्वर पटेल का मकान, उत्तर में- रास्ता, दक्षिण में- धर्म सिंह की ज़मीन.	13.10.2025 रु. 51,38,396.26 (रु. इक्यावन लाख अड़तीस हजार तीन सौ छियानवे और पैसे छब्बीस मात्र) 10.08.2025 तक **एनपीए तिथिः 05.10.2025**

उधारकर्ताओं को मांग नोटिस का अनुपालन करने और उसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान करने की सलाह दी जाती है और यहां ऊपर इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस सहित भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक शुल्क, लागत और व्यय. उधारकर्ता ध्यान दें कि एसएमएचएफसी एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा सुरक्षित की गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति. ऐसी स्थिति में उधारकर्ता निर्धारित सीमा के भीतर अपनी देनदारियों का पूरा भुगतान करने में विफल रहते हैं समय के साथ, एसएमएचएफसी सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्ज़ा लेने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा. बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके इसे स्थानांतरित करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है इसके तहत भुगतान प्राप्त करें. एसएमएचएफसी को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को संलग्न करने और/या सील करने का भी अधिकार है बिक्री या हस्तांतरण का अधिकार. सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, एसएमएचएफसी को अलग कानूनी पहल करने का भी अधिकार है. यदि बंधक संपत्तियों का मूल्य देय बकाया को कवर करने के लिए अपर्याप्त है, तो शेष बकाया राशि की वसूली के लिए कार्यवाही एसएमएचएफसी को. यह उपाय किसी भी अन्य कानून के तहत एसएमएचएफसी के लिए उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है. सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है और आगे अधिनियम की धारा 13(13) के तहत, जिसके तहत उधारकर्ता को निपटान या लेन-देन से रोका/प्रतिबंधित किया जाता है. किसी भी सुरक्षित संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) के माध्यम से स्थानांतरित करना एसएमएचएफसी की पूर्व लिखित सहमति के बिना संपत्ति और उपरोक्त का अनुपालन न करना धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है उक्त अधिनियम के. डिमांड नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि चाहें तो, कर सकते हैं. इसे सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त करें.

स्थान- नर्मदापुरम, शाजापुर, मध्यप्रदेश **दिनांक- 13.10.2025**

एसडी/- **प्राधिकृत अधिकारी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कं. लिमिटेड**